UPPG010039022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे. एस.)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1539/2026

विपिन त्रिपाठी उम्र 25 वर्ष पुत्र नन्हें त्रिपाठी,
निवासी ग्राम– रैवी राजानीपुर थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ...विपक्षी।

अपराध संख्या–50/2026
धारा–3(5),109(1),115(2),352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता
थाना–अन्तू, **जिला–** प्रतापगढ़।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **विपिन त्रिपाठी** की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के प्रावधान के अन्तर्गत अपराध संख्या 50/2026 की धारा 3(5),109(1),115(2),352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता थाना–अन्तू, जिला–प्रतापगढ़ के केस में उसे जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। अभियोजन कथानक कपोल कल्पित, काल्पनिक एवं निराधार है जिसमें कोई सचाई एवं वास्तविकता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तरीके से नामजद किया गया है जबकि सत्यता यह है कि उपरोक्त मुकदमें को जमीनी रंजिश में लिखाया गया है, जो पूर्णतः सिविल प्रकृति का है जिसे जानबूझकर आपराधिक रूप दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। कथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथानक चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं है। मजरूब के चिकित्सा रिपोर्ट में दर्ज सभी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं जिससे मृत्यु कारित होना सम्भव नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा प्रार्थी के खिलाफ विवेचना प्रचलित न होने की दशा में अब प्रार्थी/अभियुक्त को जेल में निरूद्ध रखेन का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.06.08 14:03:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले दिन ही थाने पर दर्ज कराई गई थी जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ नामित किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथन के अनुसार आबादी की जमीन पर छप्पर छाने के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण कुल्हाड़ी व सरिया लेकर आये और वादी मुकदमा व उसके लड़के को गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिये। दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से घायल मनीष वर्मा के बयान के अनुसार आबादी की खरीदी हुई भूमि में छप्पर डलवा रहे होने के दौरान उक्त जमीन खरीदने से नाराज चल रहे सह अभियुक्त विपिन त्रिपाठी द्वारा जमीन को पुनः कब्जा करने के लिए कमलाकान्त त्रिपाठी एवं अपने रिश्तेदार सत्येन्द्र मिश्रा के साथ उक्त आबादी की भूमि में आकर मारा पीटा गया। प्रार्थी /अभियुक्त विपिन त्रिपाठी द्वारा कुल्हाड़ी से वार किया जाना बताया गया है। घायल मनीष वर्मा के मस्तक पर एक कटा घाव आना तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर 5 अन्य चोटें आना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की वादी मुकदमा से जमीनी रंजिश होना भी बताया गया है। इसी प्रकार वादी मुकदमा के शरीर पर भी चोटें आना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना के बाद एक अन्य हत्या के मामले में नामित किया जाना भी बताया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी /अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **विपिन त्रिपाठी** की तरफ से अपराध संख्या 50/2026 की धारा 3(5),109(1),115(2),352, 351 (3) भारतीय न्याय संहिता थाना–अन्तू, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1539/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–08.06.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020

लालजी–

प्रश्नगत प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उप निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार द्वारा थाने पर घटना के अगले दिन दर्ज कराई गई थी। वादी मुकदमा उप निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार द्वारा चेकिंग के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त से चोरी की मोटर साइकिल पर दूसरी नम्बर प्लेट लगाकर चलाये जाने के आधार पर पकड़ा था। कथित चोरी की मोटर साइकिल के सम्बन्ध में वर्ष 2022 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त चोरी की घटना में नामजद अभियुक्त होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा किये गये अभिकथन के अनुसार वह अपना ई रिक्शा चलाकर आजीविका चलाता है तथा पुलिस द्वारा उसके ई रिक्शा को कथित घटना की दिनांक 13.05.2026 को चालान किया गया था तथा उसका ई रिक्शा थाने पर ही खड़ा करा लिया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त ई रिक्शा की आर0 सी0 एवं थाना देल्हूपुर की रिपोर्ट दिनांकित 19.05.2026 की प्रति अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भी की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में कथित फर्द बरामदगी का कोई जनसाक्षी होना भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास होना अभियोजन की ओर से अभिकथित नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी /अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **लालजी** की तरफ से अपराध संख्या 75/2026 की धारा 317(2),317(4),318(4),336(2),336(3)340(2)भारतीय न्याय संहिता थाना–देल्हूपुर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1590/2026 निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा दौरान विचारण उपस्थित साक्षीगण से प्रति परीक्षा हेतु अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं लेगा।
2. अभियुक्त विवेचना एवं विचारण के दौरान मामले से सम्बन्धित किसी साक्षी को डर, धमकी या प्रलोभन के द्वारा प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त आरोप विरचन एवं बयान अभियुक्त के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त लालजी के द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें बाद सत्यापन जमानत पर मुक्त किया जाय।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली के साथ संलग्न किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e–prison software

में करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

दिनांक–06.06.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020